संख्या- 1446 /एक-10-2023-33(36)/2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ललितपुर, मथुरा, सीतापुर, महराजगंज, संत कबीर नगर, उन्नाव, कन्नौज, गाजीपुर एवं प्रतापगढ़ ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊः दिनांकः ~~सितम्बर~~ 03 अक्टूबर, 2023

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेमौसम भारी वर्षा /क्तियोंअतिवृष्टि से प्रभावित व्य/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-303/1-11-2016- 4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा **बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि**, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं0-393/1-11-2018-4(जी)/2016, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव वन्यजीव द्वव्द्ध एवं अधिसूचना सं-0-387/एक-11-2021-4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा संख्या– 586/एक-11-2022-4(जी)/2015, दिनांक 13.10.2022 द्वारा सांड़ एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों /परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों /प्रतिवन्धों के अधीन रू0 5,35,00,000/- (रू0 पांच करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-3 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
1	ललितपुर	60.00
2	मथुरा	30.00
3	सीतापुर	100.00
4	महराजगंज	60.00
5	संत कबीर नगर	30.00
6	उन्नाव	75.00
7	कन्नौज	30.00
8	गाजीपुर	75.00
9	प्रतापगढ़	75.00
	योग	535.00
(रूपये पांच करोड़ पैंतीस लाख मात्र)		

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारीगण को प्रेपित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है, से में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागारसीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद गें इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023, जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं, तथा जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखाजोखा रखा जाये तथा माह के अंत में- जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेवसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशियों में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलवब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये **5,35,00,000/- (रूपये पांच करोड़ पैंतीस लाख मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा मद से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/वी-1-227/दस-2023-231-/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या - 1446 (1)/एक-10-2023-33(36)/2023 , तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- राहत आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-04/10/2023

प्रेषण संख्या:- 1446
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1446
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 106160068	3000000 106160068
2	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7500000 44400000	7500000 44400000
3	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7500000 40000000	7500000 40000000
4	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 38000000	10000000 38000000
5	प्रतापगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7500000 22500000	7500000 22500000
6	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 26500000	6000000 26500000
7	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 23500000	6000000 23500000
8	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 11000000	3000000 11000000
9	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 14000000	3000000 14000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	53500000 326060068	53500000 326060068

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ पैंतीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बत्तीस करोड़ साठ लाख साठ हजार अड़सठ

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
उ०प्र० शासन